राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक–न्याय/2018/ 7075

दिनांक: 25.10.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /18/33290–91 दिनांक 08.10.2018 से पुलिस थाना झालरापाटन के अभियोग सं0 247/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त जहीर खां पिता फकरू खान जाति पठान मुसलमान उम्र 31 साल निवासी पटटी मोहल्ला, सोयत थाना सोयत जिला आगर मध्य प्रदेश के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.18 को श्री बिहारी लाल सहायक उप निरीक्षक मय जाप्ता वास्ते गश्त इलाका लंका दरवाजे पर पहुंचने पर मुखबिर द्वारा इत्तला दी गई कि एक व्यक्ति जिसका नाम जहीर खान सोयत वाला है, जो अवैध कार्य करता है, पूर्वज होटल की तरफ से झालरापाटन पैदल आ रहा है, जिस पर सांकेतिक स्थान पर पहुंचने पर एक व्यक्ति पैदल आता हुआ नजर आया जो पुलिस को देखकर सडक से नीचे उतर पर पत्थरो के कारखाने की तरफ जाने लगा, जिसको डिटेन कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बताया जिसकी विधि अनुरूप तलाशी ली गई तो एक देशी पिस्टल मिली, जिसको उसको कब्जे मे रखने व परिवहन करने के संबध मे अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो अनुज्ञापत्र नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध स0 247/18 धारा 3/25 आर्मस एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अनसुंधान से जहीर खान के विरूद्व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया । उक्त देशी पिस्टल का आरमोरर द्वारा मेकेनिक मुआयना करवाया गया। आरमोरर ने बताया कि देशी पिस्टल 7.65 एमएम फायर योग्य तथा फायर आर्म्स की जद मे आती है। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अर्जुन सिंह एएसआई व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यशवंत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी पिस्टल को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त जहीर खां पिता फकरू खान जाति पठान मुसलमान उम्र 31 साल निवासी पटटी मोहल्ला, सोयत थाना सोयत जिला आगर मध्य प्रदेश के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

जगमग झालावाड़

E/Procecution Senction